संख्या-29/2020/450/क.नि.प्र./26-3-2020-13(74)/91

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर,2020
समाज कल्याण विभाग

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अंशपूंजी की मद में धनराशि (केन्द्रांश) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के पत्रांक-351/लेखा अनुभाग/2020-21 दिनांक 19-06-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण वितरण हेतु अंशपूंजी की मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 980.39 लाख में से केन्द्रांश के रूप में रू0 219.61 लाख (रू. दो करोड़ उन्नीस लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि उक्त निगम को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी।

2- यह अंश पूंजी रू0 100/- मूल्य के इक्यूटी शेयर्स के रूप में होगी। कृपया इतनी संख्या के शेयर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम जारी कराना सुनिश्चित करे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि चुकता अंशपूंजी के सभी शेयर जारी/ आवंटित हो चुके हैं।

3- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक खातों आदि में नहीं रखा जायेगा।

5- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज को यथा समय उपलब्ध करा दिये जायेगें। इस अनुदान पर योजना की गाइड लाइन्स तथा समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेष का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-एक अध्याय-16-ए के नियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अंशकों का क्रय (के.49/रा.51-के.+रा.)-30-निवेश/ ऋण के नामें डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149/दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश संख्या-5/2020-बी/1-196-दस/2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020 एवं शासनादेश संख्या 2020/231-2020-दस/218-1-बी/2020/6-दिनांक 18-05-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-612/दस/2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.सं. 29 /2020/ 450 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. महालेखाकार, लेखा प्रथमआडिट प्रथम/,उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर, लखनऊ।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।